भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3440

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सरकारी बंगलों का उन्नयन

†3440. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ओडिशा राज्य के जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में सरकारी बंगलों में पर्यटन के उन्नयन के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उन्नयन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) ओडिशा में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा विकास के लिए निधि आवंटित किए जाने की संभावना है और स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): यद्यपि पर्यटक स्थलों के विकास और संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की है, पर्यटन मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन और 'पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता' नामक अपनी योजनाओं के तहत देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों में पर्यटन संबंधी अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- गंतव्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी एवं जिम्मेदारीयुक्त गंतव्य के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के तौर पर नया रूप दिया गया है।

- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा वैश्विक पैमाने पर प्रसिद्ध पर्यटक

केंद्रों के विकास के लिए ऑपरेशनल दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों की तर्ज पर भारत सरकार ने देशभर में 23 राज्यों में अल्प ज्ञात पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

- पर्यटन मंत्रालय अपनी आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

- पर्यटन मंत्रालय कार्यक्रमों, सोशल मीडिया और अभियानों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत में पर्यटन का संवर्धन करता है।

- देश में पर्यटक गंतव्य से संबंधित जानकारी का प्रचार अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब भी शुरू किया है। अतुल्य भारत कंटेंट हब का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फ़िल्मों, ब्रोशर्स और न्यूज़लेटर्स का एक व्यापक डिजिटल भंडार प्रदान करना है, जिसे विश्व भर में उद्योग के हितधारकों (ट्रैवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट) द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और जो उनके विपणन एवं संवर्धनात्मक प्रयासों में वृद्धि कर सकता है।

- मंत्रालय बेहतर स्तर की सेवाएं प्रदान करने हेतु जनशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

- देशभर में पर्यटक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में स्थानीय एवं प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराते हुए पर्यटकों के समग्र अनुभव में वृद्धि करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम- एक अखिल भारतीय शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

- पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन पहल शुरू किया है।

- पर्यटन मंत्रालय प्रमुख पर्यटक गंतव्यों और उच्च संभावना वाले अल्प ज्ञात/नए गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ नजदीकी से मिलकर कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय बनाते हुए इस उद्देश्य के लिए चिह्नित 53 पर्यटन मार्गों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) भी साझा कर रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने नवंबर 2021 में 'भारत गौरव ट्रेन' नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत एवं विश्व के लोगों को गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थानों को दिखाना है। ओडिशा में पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क जैसे तीर्थ गंतव्यों को भारत गौरव ट्रेन के कुछ यात्रा कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय के पास सरकारी बंगलों में पर्यटन के उन्नयन की कोई योजना नहीं है।

(ग): ओडिशा राज्य में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की मांग के संबंध में समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। परियोजनाओं के लिए इन प्रस्तावों पर कार्रवाई, निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुपालन एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर की जाती है।

*****

अनुबंध

श्रीमती मालविका देवी द्वारा सरकारी बंगलों का उन्नयन के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †3440 के भाग (ग) के उत्तर में **विवरण**

स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परिपथ/स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	तटीय परिपथ 2016-17	गोपालपुर, बरकुल, सतपाड़ा और तम्पारा का विकास	70.82

प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)**
1.	पुरी में अवसंरचना का विकास	2014-15	50.00

'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता' योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

वर्ष	**परियोजना का नाम**	**एजेंसी**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि (लाख रु. में)**
2016-17	पुरी रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	615.00	615.00

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)**
1.	हीराकुंड का विकास	99.90
2.	सतकोसिया का विकास	99.99

*****